Title: Regarding sale of land owned by people belonging to ST community in Udaipur, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): उदयपुर संभाग राजस्थान का जनजाति बाहुल्य एवं अति प्राचीन अरावली पर्वत श्रंखलाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहां की अधिकांश आबादी जनजाति वर्ग की है जो कृषि वनोपज, पशुपालन पर निर्भर है। किंतु पिछले कुछ वर्षों से यहां की जनजाति वर्ग की जमीनों की अवैध तरीके से डमी व्यक्तियों के नाम खरीद-फरोख्त की जा रही है, जनजाति वर्ग की जमीनों को जनजाति वर्ग से भिन्न वर्ग को बेचा नहीं जा सकता । इस प्रकार का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित है किंतु भू-माफियाओं का ऐसा गिरोह इस क्षेत्र में डमी व्यक्तियों के नाम से एग्रीमेंट करके जनजाति वर्ग की जमीनों को जिसमें अधिकांश अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं, को खरीदकर अंधा-धुंध अवैध तरीके से कटिंग करवा रहे हैं । उदाहरण के तौर पर उदयपुर के सिसारमा, कोडियत, ढीकली, अंबेरी, चीरवा, उमरड़ा, कैलाशपुरी, डाकन-कोटड़ा, डेडकिया, काया और नोहरा में बहुत बड़े-बड़े पहाड़ों को काटकर खत्म किया जा रहा है। अतः मै भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की जांच करवायी जावे एवं एल. आर. एक्ट की धारा 177 के तहत कार्यवाही करवाने का श्रम करावे और जन-जाति वर्ग की जमीनों को डमी व्यक्तियों के नाम से बेनामी खरीद-फरोख्त को रोका जाए जिससे अरावली पर्वत श्रंखलाओं के इको-सिस्टम को बचाया जा सके ।